

प्रेषक,

आशीष वर्मा,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय कक्ष सं०-01, शाहजहाँपुर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:- श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

विषय: प्रार्थना पत्र दिनांकित 29-08-2024 में एडमिन-4 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों
के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 29-08-2024 को सम्पत्ति
क्रय करने की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रार्थना
पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें एडमिन-4 द्वारा आपत्तियां लगायी गयी हैं। उक्त आपत्तियों
के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है:-

1. करार विलेख दिनांकित 19-09-2024 की प्रति संलग्न है।
2. मेरे एस०बी०आई० एकाउण्ट व मेरी पत्नी श्रीमती नेहा आनन्द, अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश के एस०बी०आई० एकाउण्ट के पिछले दो माह के विवरण की प्रति संलग्न है।
3. (A) आज की तिथि पर मेरे एस०बी०आई० एकाउण्ट नं०-11103561414 में कुल
धनराशि मु०-4,15,539/-रु० एवं मेरी पत्नी श्रीमती नेहा आनन्द, अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश के एस०बी०आई० एकाउण्ट नं०-31985292627 में कुल धनराशि
मु०-5,76,616/-रु० है।

(B) मेरे द्वारा दाखिल एफ०डी० की परिपक्वता तिथि 23-10-2024 को प्राप्त
धनराशि मु०-25,72,392/-रु० है तथा मेरी पत्नी द्वारा दाखिल एफ०डी० की परिपक्वता
तिथि 23-10-2024 को प्राप्त धनराशि मु०-20,57,913/-रु० है।

(C) माह सितम्बर 2024 का वेतन प्राप्त होना अभी शेष है, जिससे मुझे
मु०-2,03,984/-रु० व मेरी पत्नी को मु०-2,01,171/-रु० प्राप्त होने शेष हैं।

जिसका कुल आकलन मु०-4,15,539+5,76,616+25,72,392+20,57,913+2,03,984+
2,01,171 = 60,27,615/-रु० है, जो विक्रय करार विलेख में वर्णित धनराशि
मु०-55,00,000/-रु० से लगभग 5,00,000/-रु० अधिक है।

(D) उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरी उपार्जित अवकाश
(18-05-2024 से 30-05-2024) आई०डी० नं०-L00250652024 दिनांकित 17-05-2024
व उपार्जित अवकाश (01-06-2024 से 29-06-2024) आई०डी० नं०-L00326432024
दिनांकित 02-07-2024 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है, जिसका
भुगतान वेतन पर्ची आने पर लगभग मु०-75,000+ 1,75,00 = 2,50,000/-रु० प्राप्त होना
शेष है।

A


-2-

4. प्रस्तावित सम्पत्ति को क़य करने में अनुमानित रूप से स्टाम्प डियुटी लगभग 1,58,760/-रू0 व शुल्क 22,680/-रू0 व अधिवक्ता फीस व अन्य खर्चे कुल लगभग 10,000/-रू0 होना अनुमानित है, जो कुल मु0-1,91,440/-रू0 देय होंगे। जो पैरा-3 में वर्णित स्रोतों से देय होंगे।

आख्या सादर प्रेषित है।

भवदीय,

दिनांक: 24-09-2024


(आशीष वर्मा) 24/09/24

संलग्नक: यथोक्त।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय कक्ष सं0-01, शाहजहाँपुर।